(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2530–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 08–07–2014 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार चन्दला, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 805/बी–121/2013–14

.....

भगवानदीन तनय श्री बल्देव प्रसाद ब्राम्हण
निवासी–ग्राम देवरी, तहसील चंदला
जिला–छतरपुर (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– राममनोहर तनय श्री राधे ब्राम्हण
निवासी–ग्राम देवरी, तहसील चंदला
जिला–छतरपुर (म0प्र0)

2– मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रदीप के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री डी0के0 शुक्ला, शासकीय अभिभाषक , अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार चन्दला, जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नं0 46, 47, 49/2 रकबा क्रमशः 0.534, 0.567, एवं 0.701 स्थित मौजा देवरी तह0 चन्दला जिला–छतरपुर स्थित भूमि का पट्टा नायब तहसीलदार बठौन के प्रकरण क्रमांक 195/अ–19 (4) /1996–97 में पारित आदेश दिनांक 29.09.97 को जारी किया गया एवं पटवारी अभिलेख में अमल दिनांक 20.10.2011 को किया गया । नायब तहसीलदार बठौन के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक राममनोहर व्यास द्वारा ख0नं0 46, 47, 49/2 रकबा क्रमशः 0.534, 0.567, एवं 0.701 स्थित मौजा देवरी के फर्जी व्यवस्थापन एवं स्वयं के कब्जे से संबंधित शिकायती आवेदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय म0प्र0 शासन भोपाल को दिया गया। मान0 मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर छतरपुर को शिकायत की जांच करने के आदेश दिये गये, इसी तारतम्य में कलेक्टर छतरपुर ने नायब तहसीलदार चन्दला को जांच कर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये । नायब तहसीलदार चन्दला ने प्रकरण क्रमांक 805/बी–121/2013–14 दर्ज कर संहिता की धारा 115, 116 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की एवं पारित आदेश दिनांक 08.07.2014 से आवेदक का पट्टा आदेश व अमल आदेश निरस्त कर भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक पर रखकर अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है उसी समकक्ष पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को उसी समकक्ष अधिकारी ने बगैर रिव्यु की परमीशन प्राप्त किये आदेश निरस्त किया है । धारा 115 में तहसीलदार प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही कर सकता है तथा धारा 116 में यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रविष्टि अशुद्ध व गलत हो गई है तो एक वर्ष के भीतर आवेदक के आवेदन पत्र पर दुरूस्त की जा सकती है लेकिन नायब तहसीलदार ने अपीलीय न्यायालय के कर्त्तव्यों का व अधिकारों का प्रयोग किया है जो इस प्रकार का प्रयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 115, 116 के तहत उपरोक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया सकता हे । तर्क में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा फर्जी शिकायत कर आवेदक का पट्टा निरस्त कराने की मांग की है जबकि अनावेदक को वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है और यदि कलेक्टर छतरपुर ने कोई आवेदक के पट्टे के संबंध में जांच चाही थी जो नायब तहसीलदार को अपना

प्रतिवेदन कलेक्टर छतरपुर को देना चाहिये और कार्यवाही करने की अनुशंसा करना चाहिये । लेकिन नायब तहसीलदार चन्दला ने मनमानी तरीके से आवेदक का पट्टा निरस्त किया है जो निरस्त करने के कतई अधिकार प्राप्त नहीं थे । आवेदक उपरोक्त आदेश के विरूद्ध धारा 44 के तहत अपील पेश न कर धारा 50 के तहत निगरानी में कार्यवाही कराना चाहता है, चूँकि नायम तहसीलदार ने स्वमेव निगरानी में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है । जहॉ निगरानी शब्द का उपयोग हो जाता है वहॉ निगरानी ही होती है, अपील का कोई प्रावधान नहीं है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चन्दला द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्र0 1 एवं 2 के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार चन्दला द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को कथित रूप से वष्र 1996–97 में पट्टा मिला था जिसके आधार पर वर्ष 2010–11 में उसने नामान्तरण कराया । जॉच में उसको दिये जाने वाले पटटे का प्रकरण कमांक 195/अ–19(4)/1996–97 दिनांक 29–09–1997 तथा नामान्तरण प्रकरण कमांक 59/अ–6–अ/2010–11 आदेश दिनांक 09–03–2011 दोनों दर्ज नहीं होना पाये गये । आवेदक ने किसी भी स्टेज पर मूल पटटा अथवा उक्त प्रकरणों के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई हैं जिससे उसका पक्ष प्रमाणित हो सके । वर्ष 1996–97 के पटटे की वर्ष 2010–11 में प्रविष्टि होना सन्देहास्पद है । उक्त परिस्थितियों में तहसीलदार का आदेश दिनांक 8–7–14 सही पाया जाने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर